प्रेस विज्ञप्ति
02.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय इकाई, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1एक्सबेट (1xBet) के मामले में लगभग ₹18.10 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी द्वारा की गई जाँच से पता चला कि 1एक्सबेट (1xBet) बिना अनुमति के भारत में काम कर रहा था और कई मिरर वेबसाइटों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। प्लेटफ़ॉर्म ने म्यूल बैंक खातों से जुड़े गतिशील रूप से उत्पन्न यूपीआई आईडी के माध्यम से धन संग्रह के लिए एक गुप्त तंत्र अपनाया, जिससे वास्तविक लाभार्थियों को छिपाया जा सके और अपराध की आय को परत दर परत किया जा सके.

आगे की जांच में पाया गया कि पार्थटेक डेवलपर्स एलएलपी, जो उच्च ट्रैफिक वाले क्रिकेट प्लेटफॉर्म "क्रेक्स" और "वनक्रिकेट" का संचालन करता है, ने **1एक्सबेट (1xBet)** सहित अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के प्रचार के लिए स्विट्जरलैंड स्थित बीवाइज मीडिया एजी के साथ संरचित विज्ञापन समझौते किए थे।

पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों से खुलासा हुआ है कि **1एक्सबेट (1xBet)** के विज्ञापन सीधे बुक किए गए थे, जियो-टार्गेट किए गए थे, तथा पार्थटेक डेवलपर्स एलएलपी के इन-हाउस विज्ञापन सर्वर "पार्थ एडएक्स" के माध्यम से क्रेक्स प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए गए थे।

ईडी ने आम जनता को आगाह किया है कि वे भारत में संचालित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं जुआ प्लेटफॉर्मों, जिनमें **1एक्सबेट (1xBet)** भी शामिल है, उन से सतर्क रहें, क्योंकि ये बिना प्राधिकरण के संचालित हो रहे हैं और भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं।

जनता को निम्नलिखित सावधानियां बरतने की दृढ़ सलाह दी जाती है:

- किसी भी अनधिकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफॉर्म से **न जुड़ें।**
- सट्टेबाजी ऐप या वेबसाइट से जुड़े संदिग्ध यूपीआई आईडी या अज्ञात भुगतान लिंक पर धन हस्तांतरित **न करें।**
- ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा **न करें।**

अवैध सट्टेबाजी संचालन, प्रचार नेटवर्क, भुगतान चैनलों या संबंधित संस्थाओं के संबंध में कोई भी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय अथवा निकटतम कानून प्रवर्तन एजेंसी को दी जा सकती है।

वर्तमान कुर्की के साथ, इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग ₹37.23 करोड़ हो गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।